लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/103/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः–21.10.2020
GCMS NO:-2020/00358

श्री घनश्याम सिंह दिहोत निवासी प्लॉट नं. 17–18, मिश्र कॉलोनी, फुलेरा, जिला जयपुर

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 18.11.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 04.07.2020 को एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां दिनांक 18.09.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदनों पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से एक ही अपील आवेदन द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.07.2020 को सूचना चाहने हेतु लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में दिनांक 03.08.2020 तक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 02.09.2020 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 103/2020 (सू.अ)
श्री घनश्याम सिंह दिहोत निवासी फुलेरा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 1 माह 18 दिवस पश्चात् दिनांक 20.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 103/2020/(17.11)/692 दिनांक 21.10.2020 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 17.11.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 17.11.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

दिनांक 17.11.2020 का राजकीय अवकाश घोषित हो जाने से पत्रावली दिनांक 18.11.2020 को पेश हुई। रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी दिनांक 18.11.2020 को भी अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/लोसूअ/2020/990 दिनांक 12.11.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना इस कार्यालय के पूर्व पत्र कमांक/लोसूअ/2019-20/885 दिनांक 13.10.2020 द्वारा जरिये RR597625663IN रजिस्टर्ड ड़ाक से उपलब्ध करा दी गई थी। पुनः पत्र कमांक/लोसूअ/2020/975 दिनांक 29.10.2020 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड ड़ाक RR615038689IN प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से अवगत करा दिया गया है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 103/2020 (सू.अ.)
श्री घनश्याम सिंह दिहोत निवासी फुलेरा बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/लोसूअ/2020/990 दिनांक 12.11.20 से प्रेषित कमेंट्स एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से जिला निर्वाचन अधिकारी चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/निर्वा/विसचु/से. म./2018/77 दिनांक 08.10.18 एवं 06 दिनांक 08.10.18 से सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया उस आदेश की बाद तामील प्रति की सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई जिसके संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/आरटीआई/2020-21/69 दिनांक 21.09.2020 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा भी अपने पत्रांक/885 दिनांक 13.10.2020 एवं पुनः पत्रांक 975 दिनांक 29.10.2020 रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचित किया जा चुका है।

चूंकि अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा, उसके द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराया जा चुका है जिससे अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।

(के. के. शर्मा)
लोक सूचना अपीलीय आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज़.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./103/2020(सू.अ.)/721 दिनांकः- 18/11/2020

प्रतिलिपिः-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
3. श्री घनश्याम सिंह दिहोत निवासी प्लॉट नं. 17-18, मिश्र कॉलोनी, फुलेरा, जिला जयपुर

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)